महत्वपूर्ण

संख्या-25/2018/1174/60-3-2018-67(सा0)/18

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 महिला कल्याण निगम,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 दिनांक : लखनऊ : 30 जुलाई, 2018

विषय-उ0प्र0 महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन आदि किये जाने हेतु कंसलटेन्ट तथा परियोजना प्रबन्धक की नियुक्ति किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-206/2018-19, दिनांक 02 जुलाई 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लि0, लखनऊ द्वारा वर्तमान में कई नवीन योजनाओं के सम्यक एवं सफलतापूर्वक संचालन के लिये परियोजना प्रबन्धक तथा कन्सल्टेन्ट के पद पर चयन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. निगम द्वारा वृन्दावन में चैतन्य विहार आश्रय सदन में पुष्प अवशिष्ट परियोजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत मथुरा में स्थित मन्दिरों में भगवान को अर्पित किए जाने वाले पुष्प अवशिष्ट से वृन्दावन आश्रय सदन की महिलाओं द्वारा इत्र, गुलाल, धूप, अगरबत्ती आदि सामग्री बनायी जा रही है, जिसकी मार्केटिंग भी करायी जानी है। मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-659/2007 इन्वायरमेंट एण्ड कन्ज्यूमर फाउण्डेशन बनाम यूनियन आफ इंडिया में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए हैं कि उक्त प्राजेक्ट की भाँति अन्य शहरों में भी प्रोजेक्ट स्थापित किए जायें, जिसके अनुपालन में जनपद मिर्जापुर में सीमैप संस्था द्वारा जनपद वाराणसी में एफ0एफ0डी0सी0, कन्नौज द्वारा सर्वे भी किया जा चुका है एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अयोध्या में भी सर्वे कराकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करायी जानी है।

3. वृन्दावन मथुरा में भारत सरकार द्वारा विधवा आश्रय सदन 1000 बेड का भवन निर्माण कराया गया है, जिसके संचालन हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार के मध्य दिनांक 29-05-2018 को सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश एवं उपसचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य एम0ओ0यू0 सम्पादित हुआ है, जिसके अनुसार उक्त आश्रय सदन के संचालन का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लि0 को सौंपा गया है, जिसका शीघ्र ही संचालन किया जाना है। उक्त विधवा आश्रय सदन के संचालन के लिए विभिन्न कार्यों को वर्गीकृत करते हुए एक्सप्रेशन आफ इंट्रेस्ट (EOI) के माध्यम से संस्था का चयन करके शीघ्र ही संचालित कराया जाना है।

4. उक्त के अतिरिक्त निगम द्वारा नोएडा, गौतबुद्धनगर में 500 बेड की क्षमता का एकल श्रमजीवी महिला छात्रावास का संचालन किया जाना है, जिसके लिए सभी कार्यवाहियां पूर्ण कराते हुए इसी सत्र में कार्यशील किया जाना है। निगम द्वारा विभिन्न जनपदों में संचालित एकल श्रमजीवी महिला छात्रावासों को पी0पी0पी0 मॉडल पर चलाये जाने हेतु एक्सप्रेशन आफ इण्ट्रेस्ट प्रकाशित कराया गया है, जिसके अनुसार पी0पी0पी0 मॉडल पर विभिन्न जनपदों में एकल श्रमजीवी महिला छात्रावासों का संचालन किया जाना है। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लि0 द्वारा विभिन्न जनपदों लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, गोण्डा,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, झॉसी, चित्रकूट एवं फतेहपुर में पी0पी0पी0 मॉडल पर महिला वृद्ध आश्रम का भी संचालन किया जाना है।

5. निगम की उपरोक्तांकित योजनाओं एवं भावी कार्यकलापों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लि0 के कार्यों में व्यापक स्तर पर विस्तार हो रहा है, जिनको सफलतापूर्वक, सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु आवश्यक योग्य कार्मिकों/अधिकारियों की व्यवस्था किया जाना अपरिहार्य एवं आवश्यक है, अन्यथा इन योजनाओं का लाभ आम जनता को सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं हो पायेगा। निगम द्वारा कराये जाने वाले उपरिवर्णित परियोजनाओं/कार्यों के सफल संचालन, पर्यवेक्षण, समीक्षा, स्थलीय निरीक्षण आदि के लिए कन्सलटेंट की सेवाएं प्राप्त किया जाना औचित्यपूर्ण है जो विशेष रूचि लेकर निगम के वर्तमान विस्तारीकरण के दृष्टिगत कर्मठता से कार्य सम्पादित/पूर्ण करा सके। अतएव उपरोक्त कार्यों के सम्पादन हेतु कंसलटेन्ट के लिए अर्हता एवं मानदेय का निर्धारण किया जाता है-

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों का अनुभव के साथ-साथ प्रशासकीय एवं फील्ड के कार्यों का कम से कम 25 वर्ष का अनुभव रखता हो।

(2) महिला एवं बाल विकास के कार्यों में विशेष रूचि रखता हो।

(3) अधिकतम आयु 62 वर्ष।

(4) कन्सलटेन्ट को देय मानदेय का विवरणः-

Programme Technical Support Person	**Unit**	**Unit Cost Rs.**
Consultant	Monthly Honorarium	100000
based on actuals	Local Trave (per month)	6000
based on actuals	Travel cost within state (per month)	7500
based on actuals	Travel cost within state (per month)	12000
based on actuals	Daily Subscriptive Allowance (DA) (per month)	12000
Total per month		1,37,500

6. महिला एवं बाल विकास विभाग में यूनीसेफ द्वारा दिये जा रहे मानदेय के अनुसार, जो सबसे वरिष्ठ कंसलटेंट को भुगतान किया जा रहा है, वहीं मानदेय की धनराशि उ0प्र0 महिला कल्याण निगम लि0 में कंसलटेंट को प्रदान की जायेगी। उक्त कंसलटेन्ट के मानदेय की धनराशि वृन्दावन, मथुरा में संचालित किए जाने वाले 1000 बेड वाले विधवा महिला आश्रय सदन के प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि से भुगतान की जायेगी।

7. उ0प्र0 महिला कल्याण निगम में परियोजना प्रबन्धक के 02 पद सृजित हैं, जिसमें 01 पद पदोन्नति का और 01 पद सीधी भर्ती का है। परियोजना प्रबन्धक का एक पद काफी लम्बी अवधि से रिक्त चल रहा है और एक पद पर संकलित वेतन पर कार्यरत कार्मिक माह, नवम्बर, 2018 में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर रहें हैं। परियोजना प्रबन्धक की शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव का विवरण निम्नवत हैः-

शैक्षिक अर्हता - स्नातक

अनुभव - 06 वर्ष अथवा एम0बी0ए0/एन0आई0एफ0टी0/एन0आई0डी0

उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु उपर्युक्त अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों में से 01 उपयुक्त कन्सलटेन्ट एवं 01 परियोजना प्रबन्धक (प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर) का चयन शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन कमेटी गठित कर किया जायेगा, जिसमें निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं वित्त नियंत्रक भी सदस्य रहेंगे। कन्सलटेन्ट एवं परियोजना प्रबन्धक के चयन हेतु रिक्ति का विज्ञापन कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पात्र व्यक्तियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित कर, आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के पश्चात् अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के आधार पर उपयुक्तता, योग्यता व अनुभव आदि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कृपया उपरोक्तानुसार कन्सलटेंट एवं परियोजना प्रबन्धक के पद पर चयन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1174 (1)/60-3-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।